



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 19.05.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम हरीपुरा कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा **वादी की नावालिग लड़की को वहला फुसलाकर भगा ले जाना व गलत कृत्य करने** के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुठौन्द पर मु0अ0सं0 137/19 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को **20 वर्ष का कारावास एवं 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कुठौन्द पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. मोहर सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए **20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 22,000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
रणकेन्द्र भदौरिया



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 सुधीर सिंह
कोर्ट मुहर्रि



का0 आशीष कुमार
कोर्ट पैरोकार